Form NO III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 423 सन 2018

अनवान :-

1. चानणराम पुत्र केसूराम जाति मेधवाल निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी ढण्ढेला तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पुराराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251ए आर.टी. एक्ट. बाबत रास्ता स्वीकृत करने

उपस्थित :-

1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 04/02/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया कि चक 14 आरडब्ल्यू डी के खाता संख्या 15/14 के प0न0 231/391 (35) के किला न0 2 ता 5/1.0120हैक , प0न0 232/391(36) के किला न0 1/0.253हैक कुल 1.2650हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 20/16 के प0न0 232/390(31) के किला न0 21/0.253हैक प0न0 231/390(32) के किला न0 0/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 21/2 की 0.0380हैक किला न0 24/0.2530हैक 25/0.228हैक , प0न0 230/390(33) के किला न0 25/1 की 0.2020हैक प0न0 230/391(34) के किला न0 5/0.1131हैक , प0न0 231/391(35) के किला न0 1/2 की 0.203हैक कुल 1.4550हैक भूमि जिसका अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिये रोही मोजा 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0231/391(35) के किला न0 1/2 की 0.203हैक भूमि में से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने आवागमन करता है प्रार्थी के सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि रोही मोजा 14

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आरडब्ल्यूडी के प0न0231/391(35) के किला न0 1/2 की 0.203हैक भूमि में से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिफल प्रार्थी से प्राप्त कर लिया है अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया परस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है प्रार्थी को कथन है वह अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मोजा 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 231/391 (35) के किला न0 1/2 की 0.203हैक भूमि में से पश्चिम से पूर्व की तरफ अवागमन करता है जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी को प्रतिफल दिया जा चुका है प्रार्थी के कथनों को अपार्थी ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता हे तो किसी पकार का ऐतराज नही है व रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिफल भी प्राप्त किया जा चुका है इसप्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 231/391 (35) के किला न0 1/2 की 0.203हैक भूमि में से पश्चिम से पूर्व किले के उतरी तरफ 0.013हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/2/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official